न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0–153/2023

1. कालूराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 11 सी.डी.आर., नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. हंसराज पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मोहित पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सीताराम पुत्र श्री राम कुमार जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थितिः–श्री जे0पी0 शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रोहीताश चाहर अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 01.05.26

प्रार्थना पत्र के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील टिब्बी के चक 11 सी. डी. आर. जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स० 41/26 के प० न० 213/259 मु0 न० 25 के किला न० 17/2/0.013, 24/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल 0.519 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ई साईन डिजीटल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश है। अप्रार्थीगण स० 1 ता 2 के नाम चक 11 सी.डी. आर. जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स० 202 / 172 के प० न० 212/260 मु० न० 31 के किला न0 5/1/0228, 5/2/0.013, 5/3/0.012, 15 ता 16/0.506, 25/0.253, प० न० 213 / 260 मु0 न0 32 के किला न0 1/1/0.228, 1/2/0. 013, 1/3/0.012, 2/1/0.228, 2/2/0.013, 2/3/0.012, 3/1/0.228, 3/2/0.013, 3/3/0.012, 4/1/0. 228, 4/2/0.013, 4/3/0.012, 5/1/ 0.227, 5/2/0.013, 5/3/0.013, 6 ज 17/3.036, 18/1/0.240, 18/2/ 0.013, 19 ता 23 / 1.265, 24/1/0.190, 24/2/0.063, 25/0.253 कुल 7.590 हैक्टेयर भूमि ब०हि०ब०, व अप्रार्थी स० 3 के नाम चक 11 सी. डी. आर. के प० न० 213/259 मु० न० 25 के किला न० 17 /2/0.013, 24/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल 0.519 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ई साईन डिजीटल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश है सुरेवाला से चन्दूरवाली मुख्य मार्ग से चक 11 सी.डी. आर. के प० न० 214/261 के मु० न० 47 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 गै0 मु0 रास्ता की भूमि में से होते हुए अप्रार्थी स० 3 की भूमि के प० न० 214/260 मु0 न0 33 के किला न0 21 की दक्षिणी पश्चिमी कोर्नर से होते हुए वर्तमान में अप्रार्थीगण स० 1 ता 2 के नाम से दर्ज भूमि के प० न० 213/260 मु0 न0 32 के किला न0 25, 16, 15, 6, 5 की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर दिशा से होते हुए प्रार्थी की भूमि के प० न० 213/259 मु० न० 25 के किला न0 25 में प्रवेश करता है व इसी रास्ते से होते हुए चक के अन्य काश्तकार भी अपनी–अपनी भूमि में अर्सा दराज से प्रवेश करते चले आ रहे है। आज से करीब दो दिवस पूर्व अप्रार्थी स० 1 चक 11 सी.डी. आर. के प० न० 213/260 मु0 न0 32 के किला न0 25, 16, 15, 6, 5 में चालू गै० मु० रास्ता को

अधिकारी

खुर्द बुर्द कर उसके स्थान पर जबरदस्ती खाला बनाने लगा तो प्रार्थी व अन्यकाश्तकार द्वारा उक्त अप्रार्थी स० 1 को उक्त रास्ता की जगह पर खाला बनाने से रोकने का प्रयास किया व कहा कि आप उक्त रास्ता को बंद क्यो कर रहे हो तो उक्त अप्रार्थी स० 1, प्रार्थी व चक के अन्य काश्तकार को धमकी देने लगा कि मैं जल्द ही मौका मिलते ही उक्त गै० मु० रास्ता की जगह पर सिंचाई विभाग के अधिकारियो व तहसीलदार से मिलीभगत कर खाला का निर्माण करवाकर उक्त रास्ता के स्थान पर गै० मु० खाला दर्ज करवा दूंगा और उक्त गै० मु० रास्ता को हमेशा के लिए खुर्द बुर्द कर दूगां। तत्पश्चात प्रार्थी व चक के अन्य काश्तकार ने हल्का पटवारी से मिलकर उक्त चालू रास्ता सम्बंधी दस्तावेजात निकलवाये तो प्रार्थी व चक के अन्य काश्तकार को पता चला कि उक्त अप्रार्थी स० 1 ने मिलीभगत कर उक्त चालू गै० मू० रास्ता को राजस्व रिकार्ड से हटवा दिया है जबकि उक्त प्रश्नगत गै० मु० रास्ता चक 11 सी. डी. आर. के प० न० 213/260 मु० न0 32 के किला न0 25, 16, 15, 6, 5 प्रत्येक किला में 0.025 जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2054 में स्वीकृत शुदा व राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी व चक के अन्य काश्तकारो की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए उक्त प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई मन्जूर शुदा रास्ता उपलब्ध नहीं हैं इसके अलावा प्रार्थी की भूमि में आवागमन करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी स० 3 की भूमि चक 11 सी. डी. आर. के प० न० 214/260 मु० न० 33 के किला न0 21 में 0.025 हैक्टेयर की दक्षिणी पश्चिमी कोर्नर से होते हुए अप्रार्थीगण स० 1 ता 2 के नाम से दर्ज भूमि के प० न० 213/260 मु० न० 32 के किला न0 25, 16, 15, 6, 5 की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की ओर प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहता है, लेकिन उक्त अप्रार्थी स० 1 उक्त गै० मु० रास्ता वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण उक्त गै० मु० रास्ता को बंद करने, नष्ट करने व खुर्द बुर्द करने की धमकियां दे रहा है व प्रार्थी व चक के अन्य काश्तकारो की भूमि में आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहा है अप्रार्थी स० 1, जानबुझकर प्रार्थी द्वारा मांग किये गये पूर्व में स्वीकृत शुदा रास्ता की जगह पर खाला का निर्माण करवाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष को विफल करने की फिराक में है ताकि गै० मु० रास्ता की जगह खाला का निर्माण होने से रास्ता पुनः रिकार्ड में दर्ज न हो सके। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी स० 3 की भूमि चक 11 सी. डी. आर. के प० न० 214/260 मु0 न0 33 के किला न0 21 में 0.025 हैक्टेयर की दक्षिणी पश्चिमी कोर्नर से होते हुए अप्रार्थीगण स० 1 ता 2 के नाम से दर्ज भूमि के प० न० 213/260 मु0 न0 32 के किला न0 25, 16, 15, 6, 5 की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की ओर प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे व उक्त रास्ता की भूमि पर अप्रार्थीगण खाला का निर्माण करने से व चालू रास्ता को खुर्द बुर्द करने से एंव उक्त रास्ता की भूमि में अन्य किसी भी प्रकार से अवरोध पैदा करने से अप्रार्थीगण निषेद्व रहे। आज से करीब 5 दिवस पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी स० 1 व 3 से उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया, लेकिन उक्त अप्रार्थी स० 1 व 3 स्पष्ट इन्कार हो गये। अप्रार्थी स० 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंवम श्रवणाधिकार का है और उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर. टी. ए प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी स० 3 की भूमि चक 11 सी. डी. आर. के प० न० 214/260 मु० न० 33 के किला न0 21 की दक्षिणी पश्चिमी कोर्नर में 0.025 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण स० 1 ता 2 के नाम से दर्ज भूमि के प० न० 213/260 मु0 न0 32 के किला न0 25, 16, 15, 6, 5 की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की ओर प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

र्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया या। अप्रार्थीगण स0 1,3 की ओर से श्री रोहीताश चाहर अधिवक्ता ने वकालतनामा श किया। अप्रार्थी स0 2 की सम्यक् रूप से तामिल होने के बाद भी अप्रार्थी स0 2 सालतन/वकालतन न्यायालय हाजिर नही आने के कारण अप्रार्थी स0 2 के विरूद्ध कपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी स0 1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना त्र पेश किया यह कि दफा 1 प्रार्थना पत्र पंजीकृत एंव प्रमाणित पता से सम्बन्धित जो स्वीकार है। दफा 2 प्रार्थना पत्र प्रार्थी की कृषि भूमि से सम्बन्धित है जो ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। दफा 3 राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है जो स्वीकार है । फां 4 प्रार्थना पत्र कतई गलत आधारहीन, मिथ्यारचित होने के कारण अस्वीकार है र्थी द्वारा दफा में अंकित कथन वर्तमान में अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के नाम से दर्ज भूमि के प0न0 213/260 मु0 32 किलानं0 25,16,15,6,5, की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर दिशा से होते हुए प्रार्थी की भूमि प0न0 213/259 मु0 25 किला नं० 25 मे प्रवेश करता है० अस्वीकार है क्योकि प0न0 213/260 मु0 32 व प०न० 213/261 मु0 48 के किलानं0 5,6,15, 16, 25 की पूर्वी दिशा में काफी वर्षो से खाला चल रहा है जो पक्का बना है हुआ है तथा प0न0 212 / 260 मु0 31 किलानं0 1 ता 5 प0न0 213/260 मु0 32 किलानं0 1 ता 5 प्रत्येक किला में .013 है० रास्ता चला रहा है जो मौके पर चालू है व प्रार्थी के खेत से जुड़ता है जहाँ से प्रार्थी आवागमन करता रहा है। दफा 5 प्रार्थना पत्र कतई गलत, आधारहीन, मिथ्यारचित होने के कारण अस्वीकार है क्योकि चक 11 सीडीआर के प०न० 213/ 260 मु0 32 किलानं0 5,6,15,16,25 में कोई गै०मु० रास्ता नही है तथा ना ही यहाँ पर कोई रास्ता चालू रहा है। किला नं0 5,6,15, 16, 25 में गै0मु0 पक्का खाला सिचांई हेतू काफी वर्षो से चल रहा है जो पक्का बना है तथा मौके पर चालू है । प०न० 213/260 मु0 32 किलानं0 25 में मुझ अप्रार्थी सं० 1 की पानी की डिग्गी बनी हुई है इस डिग्गी के पूर्वी दिशा में गै०मु० खाला चल रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी रास्ते पर खुर्द बुर्द नही किया है ना ही प०न० 213/260 मु0 32 किलानं0 5,6,15,16,25 में कोई रास्ता चालू था । उक्त चक 11 सीडीआर के प0न0 213/ 260 मु0 32 किलानं0 25,16,15,6,5 में गै०मु० रास्ता कभी चालू नही था ना ही इस रास्ता की आवश्यकता रही थी, सैन्टलमेंट अधिकारियों द्वारा जो विधि विरूद्व तरीके से राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता अंकित किया गया था. माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया प्र. सं0 77/96 निर्णय दिनांक 24.12.1996 को निरस्त कर दिया था तथा प०न० 214/261 मु0 47 किलानं0 1,10,11,20,21 व प0न0 214/262 मु0 53 किलानं0 1 में गै०मु० रास्ता स्वीकृत किया गया जो राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा मौके पर चालू है। दफा 6 प्रार्थना पत्र मिथ्यारचित, मनघड़त होने के कारण अस्वीकार है। कि प्रार्थी व अन्य काश्तकारान को आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी की भूमि प०न० 213/259 मु० 25 किलानं0 24 व 25 को रास्ता उपलब्ध है । कि प०न० 212/260 मु0 31 किलानं0 1 ता 5 व पन0 213/260 मु0 32 किलानं0 1 ता 5 प्रत्येक किला में .013 है0 व प0न0 213/259 मु0 25 किलानं0 5, 6, 15, 16,25 में गै0मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो मौके पर चालू है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व अन्य काश्तकारान कर रहे है। प्रार्थी के अपने खेत में आवागमन के लिए सस्ता उपलब्ध है परन्तु अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो काबिल खारीजी के है। प्रार्थी द्वारा मनघड़त तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है इसी आधार पर प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने व ना कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। दफा 7 प्रार्थना पत्र मनघड़त व मिथ्यारचित है जो अस्वीकार है। दफा 8 प्रार्थना पत्र कानूनी है । दफा 9 प्रार्थना पत्र कानूनी है अतः जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है । प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए मय खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर
दिल्ली

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार पर आपति पेश किया जाने के बाद आपति स्वीकार करते हुए स्वंय पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 17.03.2026 को हल्का पटवारी के साथ मौका निरीक्षण कर फर्द मौका मय नजरी नक्शा तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र एंव पत्रावली सलंग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। (2) विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो। (3) प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का हो।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चक 11 सी. डी. आर. के प० न० 214/260 मु० न० 33 के किला न0 21 की दक्षिणी पश्चिमी कोर्नर में 0.025 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण स० 1 ता 2 के नाम से दर्ज भूमि के प०न० 213/260 मु0 न0 32 के किला न0 25, 16, 15, 6, 5 की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की ओर प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार फर्द मौका मय नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते के रूप में प0न0 214/260 मु0 33 के किला न0 1 ता 5 व प0न0 215/260 मु0 34 के किला न0 1 ता 5 प्रत्येक में गै0मु0 खाले की जगह रास्ता चल रहा है जो रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि को 10 सीडीआर ए सडक से जोडता है उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी अपनी आराजी में प्रवेश के लिए कर रहा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने से जाहिर हुआ कि प्रार्थी के अलावा अन्य पडोसी काश्तकार भी उक्त रास्ते का आवागमन हेतु उपयोग कर रहे है।

उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नही हो रहा है। एंव प्रस्तावित रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नही होने एंव वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नही होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए खारिज किया जाता है।

निर्णय आजदिनांक 01/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अवनी सम्पत R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़